COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui. Pg. 1/2

B.A. No. 290/2026

Complaint case no. 504C/2024

Ekramul Ansari Vs. State of Bihar

16.05.2026 परिवाद पत्र सं0–504सी/2024, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 323, 406, 498(A) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 से संबंधित है, के अभियुक्त **एकरामूल अंसारी** उम्र करीब 30 वर्ष, पिता–इजराईल अंसारी, निवासी ग्राम–मटिहाना, थाना–बटिया, जिला–जमुई की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

परिवाद पत्र के अनुसार अभियोजन कथानक सार रूप से यह है कि परिवादिनी सहनाज खातुन का मामला साररूप से इस प्रकार है कि परिवादिनी की शादी अभियुक्त एकरामुल अंसारी के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक–28.04.2019 को हुई। शादी के बाद में ससुराल गयी और अपने पति के साथ दांपत्य जीवन व्यतीत करने लगी। शादी में इसके माता–पिता ने 115000/–रूपया नगद और पलंग, फ्रीज, अलमीरा इसके पति को उपहार स्वरूप दिए और जेवरात भी दिये। इस शादी से परिवादिनी को दो पुत्र हुए जिसका नाम अजमल और हसमत है। शादी के दो महीने के बाद से अभियुक्तगण परिवादिनी को प्रताड़ित करने लगे। ये लोग इससे दो लाख रूपया दहेज के रूप में मांग करने लगे और बोले कि जब तक दो लाख रूपया नहीं दोगी तो इस घर में रहने नहीं देंगे। परिवादिनी ने कहा कि उसके माता–पिता बहुत गरीब हैं, वे इतनी बड़ी रकम नहीं दे पायेगे, तो सभी अभियुक्त मारपीट करते थे। बीमार पड़ने पर नौकरानी की तरह खटाते। इजाज अंसारी एवं शबाना खातून, जो इसके ननद–नंदोसी है, वे उसके शौहर को उकसाते थे कि शादी उसने कराया है और वह ही इसे छोड़ायेगे। अभियुक्त रोशनी खातुन शादी के बाद भी वह ससुराल नहीं जाती है, नैहर में रहती है और उसके पति को उकसाती है, कहती है कि इसे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। शिराज अंसारी इसके सास एवं ससुर को उकसाते है कि इस लड़की को छोड़ दो। वे उसके दूसरी शादी करायेगे, जो होगा वह देख लेंगे। उसके शौहर के मोबाईल नं0–7439354937 पर एक अंजान फोन आया, जिसका झूठ बहाना बना कर इसका शौहर इस पर लालछंन लगाने लगा कि किसी दूसरे लड़के से बात करती है। जबकि परिवादिनी उसे नहीं जानती और ना ही कभी बात करती है परंतु अभियुक्तों ने परिवादिनी की एक भी बात नहीं सुनी और इसके साथ बेरहमी से मारपीट करते रहे। इसकी सूचना उसने अपने माता–पिता को दिया। इसके माता–पिता जब समझाने आए तो उनके साथ सभी अभियुक्त उलझ गये और परिवादिनी के पिता की टोटो गाड़ी को रख लिया तब इसके पिता ने थाना की मदद से गाड़ी छुड़ाया। अभियुक्तों ने परिवादिनी एवं परिवादिनी के बच्चो को अप्रैल 2024 में घर से निकाल दिया और परिवादिनी का सारा जेवरात पहले ही उसके पति ने छीन कर रख लिया था। प्रताड़ना के कारण परिवादिनी ने पहले भी महिला थाना जमुई में सूचना दी थी लेकिन अभियुक्तों के रवैया में कोई बदलाव नहीं आया। परिवादिनी के माता–पिता ने समझौता करने का बहुत प्रयास किया लेकिन अभियुक्तगण सभी बिना दहेज लिए परिवादिनी को रखने के लिए तैयार नहीं है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त की ओर से ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही

माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। परिवादिनी ने इस आपराधिक वाद से पूर्व भी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध परिवाद सं0–404सी/2024 दायर किया था, जिसे परिवादिनी द्वारा दिनांक–21.05.2024 को वापस ले लिया गया तथा उसी तिथि दिनांक–21.05.2024 को ही वर्तमान वाद भी दायर किया गया, जो समान अभियुक्तों के विरूद्ध समान अभियोग के लिए है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 04.04.2026 से काराधीन है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख संहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह मामला आपराधिक परिवाद पर आधारित है। परिवादिनी की हाजरी है। उभय पक्षों के अनुरोध पर काराधीन आवेदक अभियुक्त को आज कारा से उपस्थापित करने हेतु काराधीक्षक को निर्देषित किया गया था, किंतु आवेदक अभियुक्त को कारा से प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थापन किया गया तथा परिवादिनी एवं आवेदक अभियुक्त से विडियोकॉल के माध्यम से आमना सामना करवाकर सुलह का प्रयास करते हुए सुलह के लिए प्रोत्साहित किया गया। किंतु उल्लेखनीय है कि लगा आरोप 7 वर्ष से कम कारावास में दंड से दंडनीय अपराध के अभियोग से संबंधित है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।